मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी 3-1/2018/एक-3 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2018

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त प्रबंध संचालक निगम/मण्डल एवं उपक्रम
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषय:- राज्य आनंद संस्थान की गतिविधियों को संचालित करने के लिए शासकीय विभाग एवं शासकीय उपक्रमों में कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों को redeploy करने के सम्बन्ध में।

राज्य आनंद संस्थान द्वारा निम्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1. आनंद उत्सव, 2. आनंदम, 3. आनंद सभा,
4. अल्प विराम, 5. आनंद शिविर, 6. आनंद क्लब,
7. हैप्पीनेस इंडेक्स्, 8. आनंद फैलोशिप एवं शोध।

उक्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी www.anandsansthanmp.in पर उपलब्ध है।

2. राज्य आनंद संस्थान के जिला स्तर पर कोई कार्यालय नहीं हैं। वर्तमान में उपरोक्त कार्यक्रम अंशकालीन स्वयंसेवियों के माध्यम से संचालित हैं। अनेक विभागों के अधिकारी/कर्मचारी अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ संस्थान को सहयोग दे रहे हैं।

3. राज्य आनंद संस्थान की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने शासकीय विभागों एवं उपक्रमों में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्थान में redeploy करने का निर्णय लिया है।

4. उपरोक्त संदर्भ में redeploy करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

4.1 प्रत्येक जिले में अधिकतम 02 अधिकारियों तथा 02 कर्मचारियों की टीम को redeploy किया जाना अनुमत होगा।

4.2 राज्य आनंद संस्थान के द्वारा शासकीय विभागों तथा शासकीय उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों से redeployment के लिए आवेदन आमंत्रित कर योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन किया जाएगा।

4.3 Redeployment की अवधि सामान्यतः 02 वर्ष होगी। संतोषप्रद कार्य न होने पर redeployed अधिकारी/कर्मचारी को वापस किया जा सकेगा। 02 वर्ष समाप्ति पर राज्य आनंद संस्थान तथा सम्बंधित विभाग की सहमति से यथोचित समय के लिए redeployment की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

4.4 Redeployment की अवधि के दौरान सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी अपने मूल विभाग के दायित्व से मुक्त रहेंगे तथा वे आनंद विभाग द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्हें वेतन तथा आनुषांगिक भत्ते अपने मूल विभाग से ही प्राप्त होते रहेंगे।

4.5 Redeployed अधिकारी/कर्मचारियों के लिए आवश्यक कार्यालय की व्यवस्था, उनके टीए-डीए एवं वेतन/भत्ते के अतिरिक्त नियमानुसार देय राशि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाएगा।

4.6 Redeployment करने की अनुमति देने के लिए सम्बंधित विभागाध्यक्ष सक्षम होंगे। ऐसी अनुमति प्राप्त होने पर सम्बंधित व्यक्ति अपने विभाग से भारमुक्त होकर संस्थान में अपनी उपस्थिति देगा। चयनित अधिकारी/कर्मचारी के मुख्यालय में इस redeployment से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24.2.18

(प्रभांशु कमल)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी 3-1/2018/एक-3 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
21. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
22. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी.बी. पडवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग